संख्या- 359/1-10-2014-12(37)/13

प्रेषक,

किशन सिंह अटोरिया,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मुजफ्फरनगर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक : 18 जुलाई, 2014

विषय -वर्ष 2013 में आयी बाढ/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु अवशेष धनराशि का राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद मुजफ्फरनगर में वर्ष 2013 में आयी बाढ/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु शासनादेश संख्या-3510/1-10-2013-12(37)/13, दिनांक 28.11.2013 द्वारा मुजफ्फरनगर खण्ड गंगा नहर के 25 कार्यों हेतु रू0 2,30,78,500/-, ड्रेनेज खण्ड मुजफ्फरनगर के 17 कार्यों हेतु रू0 1,76,02,500/-, प्रा0ख0 लो0नि0विभाग के 19 कार्यों हेतु रू0 2,35,57,000/-, शासनादेश संख्या-2841/1-10-2013-12(37)/13, दिनांक 10.09.2013 द्वारा प्रा0 ख0 लो0नि0 वि0 के 12 कार्य तथा निर्माण खण्ड प्रथम लोक निर्माण विभाग के 05 कार्यों अर्थात कुल 17 कार्यों हेतु 96,59,500/- और शासनादेश संख्या-3630/1-10-2013-12(37)/13, दिनांक 14.12.2013 द्वारा निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग के एक कार्य हेतु 25 प्रतिशत की धनराशि रू0 12,49,000/- एवं शासनादेश संख्या-3694/1-10-2013-12(37)/13, दिनांक 24.12.2013 द्वारा निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 मुजफ्फरनगर के एक कार्य हेतु 25 प्रतिशत की धनराशि रू0 12,49,000/- की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत की गयी थी। इस सम्बन्ध में आपके पत्र संख्या-669/तेरह-मिस/06-09/सार्व0परि0, दिनांक 05.03.2014, पत्र संख्या-480/तेरह-मिस/06-09/सार्व0परि0, दिनांक 27.03.2014, पत्र संख्या-1171/तेरह-मिस/06-09/सार्व0परि0, दिनांक 27.03.2014, और पत्र संख्या-484/तेरह-मिस/06-09/सार्व0परि0, दिनांक 31.03.2014 में किए गए अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए सिंचाई एवं लोक निर्माण विभाग के कार्यों की मरम्मत हेतु रू0 7,63,95,500/- (कुल रूपये सात करोड़ तिरसठ लाख पंचानबे हजार पाँच सौ मात्र) की धनराशि द्वितीय किश्त के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

मु0नगर खण्ड गंगा नहर, मुजफ्फरनगर के कार्यों का विवरण		
क्रम संख्या	प्रस्तावित कार्य का नाम	द्वितीय किश्त हेतु मांगी जा रही धनराशि (लाख रू0 में)
1	अतिवृष्टि के कारण राजवाहे भैंसानी के कि0मी0 2.413 से किमी0 13.676 तक क्षतिग्रस्त आन्तरिक भाग एवं बैंको की मरम्मत का कार्य	19.66
2	अतिवृष्टि के कारण राजवाहे बरला के कि0मी0 0.000 से किमी0 7.240 तक क्षतिग्रस्त आन्तरिक भाग एवं बैंको की मरम्मत का कार्य	19.62
3	अतिवृष्टि के कारण माइनर खोजा नगला, खामपुर व बिजोपुरा की कुल लम्बाई किमी0 8.648 तक क्षतिग्रस्त आन्तरिक भाग एवं बैंको की मरम्मत का कार्य	19.20
4	मा0 बघरा के किमी0 0.000 से 8.045 तक एवं बारसम के किमी0 23.559 से 28.759 तक क्षतिग्रस्त दोनो बैंको के सुद्रीकरण का कार्य	12.00
5	रा0 लुहारी के किमी0 0.000 से 2.000 एवं किमी 26.135 से 26.335 एवं तक क्षतिग्रस्त दायें बैंके के सुढ़ीकरण एवं पिचिंग का कार्य	12.00
6	देवबन्द ब्रांच के किमी0 18.540 से 18.740 एवं मा0 पावटी के किमी0 0.000 से 6.436 तथा मा0 सैदपुर के किमी0 0.000 से 3.318 तक के मध्य क्षतिग्रस्त बैंक एवं भनेड़ा स्केप के क्षतिग्रस्त दोनो बैंको के सुदृढीकरण का कार्य	19.66
7	राजबाहा लैफ्ट सरवट के किमी0 1.300 से 1.800 तक क्षतिग्रस्त किनारो के सुदृढीकरण एवं पिचिंग कार्य	19.62
8	राजबाहा राइट बसेड़ा के के किमी0 0.000 से 0.200 किमी0 8.00 से 8.200 एवं 12. 680 से 12.800 तक क्षतिग्रस्त किनारो के सुदृढीकरण एवं पिचिंग कार्य	19.20
9	राजबाहा मेन बसेड़ा के किमी0 17.100 से 17.500 एवं 20.300 से 20.400 तक क्षतिग्रस्त किनारों के सुदृढीकरण एवं पिचिंग का कार्य	12.00
10	राजबाहा मखियाली के किमी0 1.700 से 1.800 तक राजबाहा पचैंडा किमी0 3.160 से 3.200 एवं राजबाहा मैन सरवयट के किमी0 0.400 से 0.500 तक क्षतिग्रस्त किनारों के सुदृढीकरण एवं पिचिंग का कार्य	12.00
11	राजबाहा रा0 मौहम्मदपुर के किमी0 17.950 से 18.000 एवं 20.800 किमी0 से 20.900 किमी. तक तथा किमी0 29.600 से 29.700 एवं किमी0 29.950 से 30.000 तक क्षातिग्रस्त किनारों के सुदृढीकरण एवं पिचिंग का कार्य	19.66
12	राजबाहा राईट मौहम्दपुर के किमी0 5.640 पर क्षतिग्रस्त वी0आर0बी0 पुलिया के जीणोद्धार कार्य	19.62
13	राजबाहा राईट मौहम्दपुर के किमी0 20.800 पर क्षतिग्रस्त वी0आर0बी0 पुलिया के जीणोद्धार कार्य	19.20
14	मुस्तफाबाद माईनर के किमी0 1.270 पर क्षतिग्रस्त वी0आर0बी0 पुलिया के जीणोद्धार कार्य	12.00
15	राजबाहा मेन बसेड़ा के किमी0 3.073पर क्षतिग्रस्त वी0आर0बी0 पुलिया के जीणोद्धार कार्य	12.00
16	अतिवृष्टि के कारण राजवाहे भोकरहेडी की किमी0 5.10 से किमी0 14.750 तक क्षतिग्रस्त आन्तरिक भाग एवं बैंको की मरम्मत का कार्य	19.66
17	अतिवृष्टि के कारण राजवाहे मीरापुर की किमी0 18.50 से किमी0 26.650 तक क्षतिग्रस्त आन्तरिक भाग एवं बैंको की मरम्मत का कार्य	19.62
18	अतिवृष्टि के कारण राजवाहे पिमाडा के किमी0 5.50 से किमी0 18.400 तक क्षतिग्रस्त आन्तरिक भाग एवं बैंको की मरम्मत का कार्य	19.20
19	अतिवृष्टि के कारण राजवाहे काटका के किमी0 1.50 से किमी0 8.200 एवं माईनर तालडा के किमी0 0.00 से किमी0 11.5000 तक क्षतिग्रस्त आन्तरिक भाग एवं बैंको की मरम्मत का कार्य	19.66

REST DHANAWANTAN 2014 281

14	जनपद मु0नगर में तीर्थनगरी शुकताल में गंगा नदी के दांये किनारे पर अपस्ट्रीम मे स्टड नम्बर 01, 02 व 03 के पुर्नस्थापना/मरम्मत का कार्य	11.875
15	जनपद मु0नगर मे तीर्थनगरी शुकताल मे गंगा नदी के दांये किनारे पर अपस्ट्रीम मे स्टड नम्बर 07, व 08 के पुर्नस्थापना/मरम्मत का कार्य	8.75
16	जनपद मु0नगर मे सौलानी नदी के दांये किनारे पर ग्राम फरखपुर पांचली में स्टड नम्बर 01 से 11 तक की पुर्नस्थापना/मरम्मत का कार्य	12.25
17	जनपद मु0नगर मे सौलानी नदी के बांये किनारे पर ग्राम रतनपुरी बढीवाला मे स्टड नम्बर 01, से 05 तक की पुर्नस्थापना/मरम्मत का कार्य	9.75
	कुल योग	176.025

प्रान्तीय खण्ड लो0नि0 विभाग, मु0नगर के कार्यों का विवरण

कम संख्या	प्रस्तावित कार्य का नाम	द्वितीय किश्त हेतु मांगी जा रही धनराशि (लाख रू0 में)
1	शेरपुर खेडकी मार्ग लम्बाई 2.50 किमी के मरम्मत कार्य	20.00
2	खेडकी से रजकल्लापुर मार्ग लम्बाई 3.00 किमी0 के मरम्मत कार्य	12.00
3	रजकललापुर से रामनगर मार्ग लम्बाई 1.00 किमी0 के मरम्मत का कार्य	10.00
4	पुरकाजी लक्सर मार्ग से चमरावाला सुहेली मार्ग लम्बाई 4.00 किमी के मरम्मत का कार्य	19.50
5	चमरावाला सुहेली मार्ग से अलमावाला मार्ग लम्बाई 5.00 किमी0 का कार्य	19.70
6	बिहारगढ से शुकताल मार्ग लम्बाई 2.00 किमी0 के मरम्मत कार्य।	19.40
7	खेडकी से हुसैनपुर मार्ग लम्बाई 1.00 किमी0 के मरम्मत का कार्य	10.00
8	पुरकाजी लक्सर मार्ग से समसो हुसैनपुर मार्ग लम्बाई 3.00 किमी के मरम्मत का कार्य	10.00
9	शुकताल स्थित बाण गंगा नदी सेतु की पहुंच मार्ग की मरम्मत का कार्य	15.60
10	बिजनौर मेरठ मार्ग लम्बाई 8.250 किमी0 के मरम्मत का कार्य	49.02
11	दिल्ली नितीपास मार्ग लम्बाई 11.60 किमी0 मुजफ्फरनगर प्रभाग के मरम्मत का कार्य	46.00
12	देवल महमूदनगर मार्ग लम्बाई 8.750 किमी0 के मरम्मत का कार्य	41.60
13	देवल से हंसावाला मार्ग लम्बाई 4.00 किमी0 के मरम्मत का कार्य	24.58
14	अहमदवाला से बाबा के डेरे तक मार्ग लम्बाई 1.500 किमी0 के मरम्मत का कार्य	9.41
15	देवल महमूदनगर मार्ग से सियाली मार्ग लम्बाई 1.500 किमी0 के मरम्मत का कार्य	7.49
16	बिजनौर मेरठ मार्ग से श्याली मार्ग लम्बाई 3.500 किमी0 के मरम्मत का कार्य	24.24
17	अहमदवाला से नसीरपुर मार्ग लम्बाई 1.00 किमी0 के मरम्मत का कार्य	4.68
18	जलालपुर नीला मार्ग से बुटराडी मार्ग लम्बाई 2.00 किमी0 के मरम्मत का कार्य	7.96
19	दिल्ली नीतिपास मार्ग (खतौली प्रभाग) लम्बाई 4.00 किमी0 के मरम्मत का कार्य	20.80
	योग	235.57

प्रा0ख0, लो0नि0वि0 मुजफ्फरनगर के कार्यों का विवरण

क0सं0	प्रस्तावित कार्य का नाम	द्वितीय किश्त हेतु मांगी जा रही धनराशि (लाख रू0 में)
1	पुरकाजी लक्सर प्रमुख जिला मार्ग	26.87
2	मोरना–भौकरहेडी तौफीर दल्लावाला	6.20
3	शेरपुर खेडकी मार्ग	2.00
4	खेडकी से हुसैनपुर मार्ग	2.00
5	पुरकाजी लक्सर मार्ग से चमरावाला सुहेली मार्ग	2.00
6	पुरकाजी लक्सर मार्ग से चमरावाला सुहेली अलमावाला	2.00

20	अतिवृष्टि के कारण राजवाह मेन लेफट शर्की के किमी0 18.50 से किमी0 32.400 एवं किमी0 31.870 पर क्षतिग्रस्त पुलिया का पुर्नोद्वारा का कार्य	19.62
21	अतिवृष्टि के कारण माईनर ढासरी, सम्भलहेडा की कुल लम्बाई 12.500 तक क्षतिग्रस्त आन्तरिक भाग एवं बैंको की मरम्मत का कार्य	
22	अतिवृष्टि के कारण पिमौडा राजवाहा के किमी0 18.400 पर क्षतिग्रस्त साईफन का पुर्नोद्धार एवं निगाजनी रेगुलेटर पर अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत एवं माईनर व बजीराबाद की देलगूल के किमी0 0.800 पर क्षतिग्रस्त पुलिया के जीर्णोद्धार का कार्य	19.20
23	माईनर सिखेडा के किमी0 0.000 से 11.000 के मध्य अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त किनारों के सुदृढीकरण एवं पिचिंग का कार्य।	12.00
24	मा0 खुसरोपुर के किमी0 0.000 से 6.235 तक माईनर पलडा किमी0 0.000 से 4.425 तक एवं माईनर दभेडी के किमी0 0.000 से 30.218 तक क्षतिग्रस्त दोनो बैंको के सुदृढीकरण का कार्य	19.66
25	मा0 मुबारिकपुर के किमी0 0.000 से 2.415 व डी0बी0 डाउन के किमी0 79.072 से 82. 862 एवं मा0 शाहपुर के किमी0 0.000 से 8.336 तक क्षतिग्रस्त दोनो बैंको के सुदृढीकरण का कार्य	19.62
	कुल योग	230.785

ड्रेनेज खण्ड, मु0नगर के कार्यो का विवरण

क्रम संख्या	प्रस्तावित कार्य का नाम	द्वितीय किश्त हेतु मांगी जा रही धनराशि (लाख रू0 में)
1	जनपद मु0नगर में काली नदी के दायें किनारे पर स्थित ग्राम मलीरा के पास (मु0नगर देवबन्द मार्ग) पुल के अपस्ट्रीम तटबंस की पुर्नस्थापना/मरम्मत का कार्य	11.00
2	जनपद मु0नगर में काली नदी के दायें किनारे पर स्थित ग्राम मोरकुक्का के पास (पुल के डाउन स्ट्रीम में)पुर्नस्थापना/मरम्मत का कार्य	10.25
3	जनपद मु0नगर में काली नदी के दायें किनारे पर स्थित ग्राम मोरकुक्का के पास (पुल के डाउन स्ट्रीम में) बाढ़ सुरक्षा कार्य संख्या 02 की पुर्नस्थापना/मरम्मत का कार्य	11.00
4	जनपद मु0नगर में काली नदी के दायें किनारे पर स्थित ग्राम मोरकुक्का के पास (पुल के डाउन स्ट्रीम में) बाढ़ सुरक्ष कार्य संख्या 03 की पुर्नस्थापना/मरम्मत का कार्य	10.85
5	जनपद मु0नगर में काली नदी के बांये किनारे पर स्थित ग्राम रतनपुरी इंचौली के सामने बाढ़ सुरक्षा कार्य संख्या 01 पुर्नस्थापना/मरम्मत का कार्य	10.30
6	जनपद मु0नगर में काली नदी के बांये किनारे पर स्थित ग्राम रतनपुरी इंचौली के सामने बाढ़ सुरक्षा कार्य संख्या 02 पुर्नस्थापना/मरम्मत का कार्य	10.75
7	जनपद मु0नगर में काली नदी के बांये किनारे पर स्थित ग्राम रतनपुरी इंचौली के सामने बाढ सुरक्षा कार्य संख्या 03 पुर्नस्थापना/मरम्मत का कार्य	11.00
8	जनपद मु0नगर में काली नदी के बांये किनारे पर स्थित ग्राम रतनपुरी इंचौली के सामने बाढ सुरक्षा कार्य संख्या 04 पुर्नस्थापना/मरम्मत का कार्य	10.50
9	जनपद मु0नगर मे काली नदी के बांये किनारे पर स्थित ग्राम रतनपुरी इंचौली के सामने बाढ सुरक्षा कार्य संख्या 05 पुर्नस्थापना/मरम्मत का कार्य	10.50
10	रतनपुरी इंचौली के सामने बाढ़ सुरक्षा कार्य संख्या 06 पुर्नस्थापना/मरम्मत का कार्य	10.40
11	जनपद मु0नगर में हिन्डन नदी के दांये किनारे पर स्थित ग्राम अटाली में बाढ़ सुरक्षा कार्य संख्या 01-08 तक पुर्नस्थापना/मरम्मत का कार्य	14.35
12	जनपद मु0नगर में हिन्डन नदी के दांये किनारे पर स्थित ग्राम शिकारपुर में बाढ़ सुरक्षा कार्य संख्या 01 व 02 तक पुर्नस्थापना/मरम्मत का कार्य	7.50
13	जनपद मु0नगर में तीर्थनगरी शुक्रताल में गंगा नदी के दांये किनारे पर ठोकों की पुर्नस्थापना/मरम्मत का कार्य	5.00

VEST DHANAWANTAN 2014 282

7	बिहारगढ से शुकताल मार्ग	3.30
8	खेडकी से रजकल्लपुर मार्ग	2.50
9	रजकल्लपुर रामनगर मार्ग	1.00
10	पुरकाजी लक्सर मार्ग से समसो हुसैनपुर मार्ग	1.00
11	शुकताल स्थित बाणगंगा नदी सेतु की पहुच मार्ग	5.00
12	हुसैनपुर से लालपुर रहडवा मार्ग	2.50
	योग	56.37

<u>नि0ख0–प्रथम, लो0नि0वि0 मुजफ्फरनगर के कार्यों का विवरण</u>

क्र0सं0	प्रस्तावित कार्य का नाम	द्वितीय किश्त हेतु मांगी जा रही धनराशि (लाख रू0 में)
1	मुजफ्फरनगर थाना भवन मार्ग	7.50
2	मथुरा से न्यामू मार्ग	15.00
3	अकबरगढ से न्यामू मार्ग	2.50
4	कसौली से न्यामू मार्ग	11.46
5	कुटबा से हडौली मार्ग	3.765
	योग	40.225

<u>नि0ख0, लोक निर्माण विभाग के कार्य का विवरण</u>

क्रम संख्या	प्रस्तावित कार्य का नाम	द्वितीय किश्त हेतु मांगी जा रही धनराशि (लाख रू0 में)
1	मुजफ्फरनगर थानाभवन मार्ग के किमी0 21 में हिण्डन नदी पर निर्मित क्षतिग्रस्त सेतु के स्थान पर अस्थाई स्टील सेतु भी बाढ़ आपदा से क्षतिग्रस्त हो जाने के उपरान्त पुनः अस्थाई स्टील सेतु व पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य 21.00 किमी	24.98
	कुल योग रू0	7,63,95,500

2- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय '' के नामे डाला जायेगा।

3- बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आगामी वर्षा के पूर्व पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना/मरम्मत मद में धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। जिलाधिकारी द्वारा पुनः यह भी देख लिया जाय कि सन्दर्भित कार्यों के परिप्रेक्ष्य में आगणन की जॉच सक्षम स्तर पर कर ली गयी है तथा वह समस्त मानकों को पूर्ण करते हैं। शासनादेश संख्या-2660/1-10-2012-रा0-10-33(171)/2012, दिनांक 25-10-2012 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार तात्कालिक मरम्मत/पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना हेतु प्रस्तावों/कार्यों में किसी अन्य विभाग से धनराशि प्राप्त न होने का कार्यदायी विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये ही अवमुक्त धनराशि व्यय की जाय।

स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्य विभाग/जिलाधिकारी का होगा। प्राक्कलित लागत के सापेक्ष वास्तविक आकलित लागत का ही धनावंटन किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत/पुनर्स्थापना हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनराशि आवंटन की प्रक्रिया/मार्ग निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-70/1-10-2014-33(94)/2014, दिनांक 23.01.2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराते हुये विषयगत मामले/सन्दर्भित कार्यों के बारे में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। यह धनराशि इस शर्त के साथ आवंटित की जा रही है कि उक्त कार्यों को कराये जाने के सम्बन्ध में उक्त शासनादेश दिनांक 23.01.2014 का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

4- उक्त धनराशि का व्यय शा0प0सं0-78/पीएसआर/2012, दिनांक 24-01-2012 के साथ संलग्न पत्र संख्या-32-7/2011-एनडीएम-1, दिनांक 16-01-2012 में भारत सरकार की गाइड लाइंस में निर्धारित एवं अर्ह मानक मदों एवं शासनादेश संख्या 2785/1-10-2011-12(73)/2008, दिनांक 14-10-2011 के अनुसार किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त शासन के पत्र संख्या-317/1-11-2013, दिनांक 21-06-2013 को संलग्न किया गया है, जिसमें कई मानक मदों की दरों में संशोधन किया गया है, जो दिनांक 01-03-2013 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।

5- बाढ/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन की उक्त परियोजनाओं को तात्कालिक रूप से पूर्ण कर लिया जाये। राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा। तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि विभाजित नहीं किया जायेगा, अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जोगा।

6- उपरोक्त परियोजनाओं के कार्य मानक एवं गुणवत्तापूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए कार्य की समय-समय पर वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी भी करायी जाय तथा उनकी प्रति सीडी शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जाय।

7- कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एकमुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इति श्री कर ली जाती है । यह स्थिति उचित नहीं है । निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है । अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है । अतः राज्य आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

8- राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा0-11, दिनांक 20-06-2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत. यू0पी0.एनआईसी.इन पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या यू0ओ0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04-03-2013 में दिये गये दिशा-निर्देशों का

अनुपालन किया जायेगा । शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2015 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये ।

9- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

10- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(किशन सिंह अटोरिया)
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या- 359(1)/1-10-2014, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- प्रमुख सचिव, सिंचाई/लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई/लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- आयुक्त, सहारनपुर मण्डल सहारनपुर ।
5- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ ।
6- निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन ।
7- उप निदेशक, (सामान्य) एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत. यू0पी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु ।
8- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, संगठन, उ0प्र0।
9- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, मुजफ्फरनगर ।
10- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
11- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
12- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(मदन मोहन)
अनु सचिव ।